बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या व.सं. / 99 / 2021– 414

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 15/04/2025

विषय – शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा–शेखपुरा–सिकन्दरा–जमुई–झाझा–बाँका–पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00–198.45 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 142.7368 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा–शेखपुरा–सिकन्दरा–जमुई–झाझा–बाँका–पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00–198.45 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका, जमुई एवं मुंगेर तथा वन संरक्षक, भागलपुर एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से अनुसंशा के साथ प्राप्त हुआ है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 03.02.2025 को पारित आदेश की कंडिका–4 में दिये गये निर्देश इस प्रकार है–

"We make it clear that until further orders, no steps will be taken by the Union of India or any of the States, which will lead to reduction of the forest land unless a compensatory land is provided either by the State Government or the Union of India for the purpose of afforestation."

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/BR/ROAD/404838/2022 में दोगुणे अवकृष्ट वन भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रावधानों के साथ दिनांक 28.02.2025 को Stage-I की स्वीकृति प्रदान किया गया है। **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा यह भी प्रसारित किया गया कि ऐसे सैद्धान्तिक अनुमोदन एक अनिवार्य शर्त्त पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या WP 1164/2023 में दिनांक 03.02.2025 को पारित आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि प्रदान किया जायेगा।**

4. शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा–शेखपुरा–सिकन्दरा–जमुई–झाझा–बाँका–पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00–198.45 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित है जिसमें कुल 142.7368 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 30,717 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका, जमुई एवं मुंगेर तथा वन संरक्षक, भागलपुर एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	Translocate हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या
1	जमुई	89.6878	2139	16204
2	मुंगेर	7.645	1569	1340
3	बाँका	45.404	3316	6149
		142.7368	**7024**	**23693**

5. विषयांकित पथ के किनारे की भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 921 (ई०) दिनांक 28.08.1997 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कुल 142.7368 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा भाग–II कि प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.1, 0.2 एवं 0.1 तथा तीनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II कि प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

7. पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के क्रम में 7024 वृक्षों का पुनर्स्थापन 23693 वृक्षों का पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर एवं निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

9. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई, लखीसराय एवं बाँका द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.19 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

10. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 142.7368 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अर्थात् 285.4736 हे0 अर्थात् 286.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि जमुई, बाँका एवं मुंगेर वन प्रमंडल अन्तर्गत, चिन्हित किया गया है। जमुई वन प्रमंडल के झाझा एवं चकाई वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत क्रमशः कामत, कैरी मेथीटांड, चकमेथीटांड बड़कीटांड (PF) एवं बाँका वन प्रमंडल के कटोरिया प्रक्षेत्र अन्तर्गत भोरसार एवं चान्दन (PF) तथा मुंगेर वन प्रमंडल के लखीसराय प्रक्षेत्र अन्तर्गत बुधौली बनकर चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

11. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा भाग–II की प्रविष्टि, अनुशंसा नोट, वृक्ष गणना सूची, इत्यादि परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसके आलोक में प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है। परिवेश पोर्टल पर प्रयोक्ता एजेंसी, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा ऑन लाईन किये गये अनुशंसा की Downloads प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

12. विषयक प्रस्ताव के साथ अत्यधिक दस्तावेज होने के कारण इसे e-Office Portal पर अपलोड करने में कठिनाईयाँ हो रही है। अतएव विषयक प्रस्ताव को e-Office Portal के बाहर भौतिक रूप से भेजा जा रहा है।

13. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 142.7368 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 13,67,10,452/– (रूपये तैरह करोड़ सड़सठ लाख दस हजार चार सौ बावन) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 142.7368 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये अवकृष्ट वन भूमि जमुई, बाँका एवं मुंगेर वन प्रमंडल अन्तर्गत, चिन्हित किया गया है। जमुई वन प्रमंडल के झाझा एवं चकाई वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत क्रमशः कामत, कैरी मेथीटांड, चकमेथीटांड बड़कीटांड (PF) एवं बाँका वन प्रमंडल के कटोरिया प्रक्षेत्र अन्तर्गत भोरसार एवं चान्दन (PF) तथा मुंगेर वन प्रमंडल के लखीसराय प्रक्षेत्र अन्तर्गत बुधौली बनकर चिन्हित कर कुल 286.5 हे0 में दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।
4. परियोजना निर्माण के क्रम में पौधों का पुर्नस्थापन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी जमुई, मुंगेर एवं बाँका के दिशा–निर्देशन में कराया जायेगा। पुर्नस्थापित होने वाले पौधों के लिये स्थल एवं प्रक्रिया का निर्धारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा किया जायेगा।
5. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1696/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
6. यह अनुशंसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन वाद सं0 WP(C)1164/2023 में पारित अथवा किसी न्यायालय/प्राधिकरण या मंत्रालय द्वारा जारी आदेश/निदेश के अधीन प्रभावित होगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./99/2023–414 दिनांक– 15/04/2025

प्रतिलिपि – वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/04/2025

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा–शेखपुरा–सिकन्दरा–जमुई–झाझा–बाँका–पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00–198.45 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 142.7368 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
11	वन संरक्षक, भागलपुर एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	
12	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

Construction of Two/Four Lane with paved shoulder of newly declared NH-333A which starts from its Junction with NH-33 near Barbigha falls in the three forest divisions. The details of the section falling in the divisions is detailed as:-

SL No.	Name of the division	Protected forest to be diverted (in ha)
1	Jamui	89.6878
2	Munger	7.645
3	Banka	45.404
	Total	142.7368

Construction of Two/Four Lane with paved shoulder of newly declared NH-333A in the district of Jamui, Munger and Banka district is justified and essential three is no alternative route available for this Road.

Therefore the proposed diversion of the 142.7368 ha of forest lands under reference is recommended with the stipulations and conditions mentioned in the forwarding letter.

Date : 15.../04/2025
Place : Patna

Signature
Name & Designation – Surendra Singh
APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC)
(Official Seal)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना